



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102025-266702
CG-DL-E-06102025-266702

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 655]
No. 655]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 1, 2025/आश्विन 9, 1947
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 1, 2025/ASVINA 9, 1947

डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय

कार्यालय आदेश

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2025

फा.सं. 380/रा०प्र०के०कृ०वि० (भी.सी.) पूसा.—प्रबंधन बोर्ड के दिनांक 07.08.2024 को आहुत 22वीं बैठक में की गई अनुशंसा के पश्चात्, कुलसचिव एवं नियंत्रक के सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि के प्रतिवेदन को माननीय कुलाध्यक्ष की स्वीकृति हेतु प्रस्तुतिकरण के उपरान्त, माननीय कुलाध्यक्ष की प्राप्त स्वीकृति/सहमति पत्र संख्या CA-05/7/2025-CAU and ASRB दिनांक 25 जुलाई, 2025 के अनुसार परिनियम के खंड 8(5) एवं 9(5) में आवश्यक सुधार निम्नानुसार वर्णित है:—

वर्तमान		संशोधित
1. कुलसचिव		1. कुलसचिव
कुलसचिव की सेवानिवृत्ति आयु साठ (60) वर्ष होगी।	:	कुलसचिव की सेवानिवृत्ति आयु बासठ (62) वर्ष होगी।
1. नियंत्रक		1. नियंत्रक
नियंत्रक की सेवानिवृत्ति आयु साठ (60) वर्ष होगी।	:	नियंत्रक की सेवानिवृत्ति आयु बासठ (62) वर्ष होगी।

उपरोक्त संशोधन डॉ० राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 27 (3) एवं 27(4) के आलोक में प्रभावी किया जाता है। यह संशोधन इस आदेश के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा तत्पश्चात् सरकारी गजट में प्रकाशित किया जायगा। परिणामस्वरूप, कुलसचिव एवं नियंत्रक के सेवानिवृत्ति एवं सम्बन्धित प्रावधान अध्यादेश संख्या 81/309/RPCAU 6558 GI/2025

(VC) दिनांक 13.09.2021 तथा धारित सेवा एवं भर्ती नियम (गैर-शिक्षकीय कर्मचारी)-2017 की अधिसूचना क्रमांक 309/DRPCAU(VC) पूसा दिनांक 31.07.2021 संशोधित मान्य होगा। अधिनियम की धारा 46(1) के आवश्यकतानुसार यह राजपत्र में प्रकाशित होगा तथा प्रबंध बोर्ड की 14.07.2017 को आहुत 2वीं बैठक में अपनाई गई पूर्ववर्ती RR (Recruitment Rule) के उपरोक्त प्रावधान को संशोधित माना जायगा।

पुन्यव्रत सुविमलेन्दु पाण्डे, कुलपति

[विज्ञापन-III/4/असा./389/2025-26]

DR. RAJENDRA PRASAD CENTRAL AGRICULTURAL UNIVERSITY

OFFICE ORDER

New Delhi, the 24th September, 2025

F.No. O.O.No. 380/RPCAU (VC), Pusa.—Consequent upon the recommendation of the Board of Management in its 22nd meeting held on 07.08.2024, followed by submission of the proposal for the “Assent” of the Hon’ble Visitor on the proposal of enhancement in retirement age of the Registrar & Comptroller of the University, the Assent of the Hon’ble Visitor was communicated vide letter No. CA-05/7/2025-CAU and ASRB dated 25th July, 2025 and accordingly the necessary amendment in clause 8(5) & 9(5) of the Statute is presented below:

Existing		After amendment
1. Registrar The Registrar shall retire on attaining the age of (60) sixty years.	:	1. Registrar The Registrar shall retire on attaining the age of 62 (sixty two) years.
2. Comptroller The Comptroller shall retire on attaining the age of (60) sixty years.	:	2. Comptroller The Comptroller shall retire on attaining the age of 62 (sixty two) years.

The amendment in the Statute has been given effect in light of provision of the Act under section 27(3) and 27 (4) of Dr. Rajendra Prasad Central Agricultural University. This amendment shall take effect from the date of issue of this order followed by publication in official Gazette. Consequently, the provision related to retirement age of the Registrar and Comptroller shall stand amended in the ordinance No.81/309/RPCAU (VC) dated 13.09.2021 bearing the notification of the Service and Recruitment Rule (Non-teaching employee)-2017 vide No.309/DRPCAU (VC), Pusa dated 31.07.2021. As per requirement of the Act Under Section 46 (1), the same shall be published in the official gazette and consequently the aforesaid provision of earlier RR (Recruitment Rule) adopted by the BOM in its 2nd meeting held on 14.07.2017 shall be considered as amended.

PUNYAVRAT SUVIMALENDU PANDEY, Vice-Chancellor

[ADVT.-III/4/Exty./389/2025-26]